श्री-चौहान (स्था.)

27/05

AESto (RC)

27-5-09

①

उत्तराखण्ड शासन
नियोजन अनुभाग
संख्याः // /XXVI/दो(22)/2004
देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2009

कार्यालय ज्ञाप

नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–11/XXVI/दो(22)/2004, दिनांक 21 जनवरी, 2009 द्वारा अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत/सेवानिवृत्त सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के स्रोत से नियुक्त अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची आपत्तियों हेतु परिचालित की गई थी। उक्त ज्येष्ठता सूची के कम में निदेशक, अर्थ एवं संख्या के माध्यम से श्री यतेन्द्र सिंह पांगती, संयुक्त निदेशक, श्री पंकज नैथानी, संयुक्त निदेशक, श्री भगवती प्रसाद तिवारी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा श्रीमती इला पंत बिष्ट, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड की आपत्तियाँ शासन को प्राप्त हुई हैं। प्राप्त आपत्तियों का निम्न प्रकार निराकरण किया जाता हैः–

2– ज्येष्ठता सूची में कमांक–2 पर अंकित श्री यतेन्द्र सिंह पांगती, संयुक्त निदेशक द्वारा शासन द्वारा बार–बार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी किए जाने के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि जिन कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची में कोई विवाद नहीं है उनके संबंध में ज्येष्ठता सूची में ''पूर्व के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित है'' तथा वर्तमान धारित पद का उल्लेख कर दिया जाय। यह उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जो भी अनन्तिम/अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी हुई है वे सभी सूचियाँ भारत सरकार के आवंटन से पूर्व जारी की गयी थी और तत्समय अर्थ एवं संख्याधिकारी संवर्ग का अन्तिम आवंटन नहीं हुआ था किन्तु अब उक्त संवर्ग का अन्तिम आवंटन हो चुका है। अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप सभी अर्थ एवं संख्याधिकारियों, जिन्हें उत्तराखण्ड राज्य आवंटित किया गया है तथा कालान्तर में पदोन्नत व नव नियुक्त अधिकारियों को भी शामिल करते हुए ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है। अतएव पूर्व के ज्येष्ठता कम के अनुरूप उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ज्येष्ठता-सूची में वर्तमान धारित पद का उल्लेख किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

3– ज्येष्ठता सूची में कमांक–5 पर अंकित श्री पंकज नैथानी, संयुक्त निदेशक द्वारा मुख्य रूप से पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूची के संबंध में, श्री यतेन्द्र सिंह पांगती की पदोन्नति के संबंध में, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में रिट याचिका संख्या–25947/2008 हरिहर लोहुमी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का उल्लेख किये जाने के संबंध में तथा कुछ अधिकारियों के नाम छूट जाने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की है। श्री नैथानी की आपत्ति के संदर्भ में जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि पूर्व मे निर्गत ज्येष्ठता सूची भारत सरकार के आवंटन से पूर्व जारी की गयी है इसी कारण अब भारत सरकार

द्वारा अन्तिम आवंटन के फलस्वरूप समस्त अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची जारी की जा रही है जिसमें कोई विधिक बाधा नहीं है।

4— जहाँ तक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या—25947/2008 हरिहर लोहुमी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है चूँकि उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश को कतिपय निर्देश दिये गये है और पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्ववर्ती तिथि से कतिपय अधिकारियों के संबंध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो तत्संबंध में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा भी निर्णय लिया जाना होगा। इसी कारण उक्त रिट याचिका का उल्लेख अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में किया गया है। जिन 03 अधिकारियों श्री प्रवीर कुमार जोशी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, श्री रंजन कुमार जोशी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा श्री विरेन्द्र पाल चन्द्र, अर्थ एवं संख्या अधिकारी के नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित होने से छूट गए थे उनके नाम यथास्थान पर रख दिए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त श्री नैथानी द्वारा श्री पांगती की पदोन्नति के संबंध में की गई आपत्ति का इस ज्येष्ठता सूची से कोई संबंध नहीं है, अतः उस पर इस समय विचार करने का कोई अवसर नहीं है।

5— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक—7 पर श्रीमती शालू गोयल, अर्थ एवं संख्या अधिकारी का नाम अंकित किया गया था। श्रीमती शालू गोयल पूर्व में उत्तर प्रदेश में कार्यरत थी किन्तु कालान्तर में भारत सरकार के आदेशों द्वारा उन्हें उत्तराखण्ड राज्य आवंटित कर दिया गया था इसी कारण श्रीमती शालू गोयल को उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता प्रदान करते हुए क्रमांक—7 पर ही रखा गया है। पुनः भारत सरकार के आदेश सं0—27/02/08—एस0आर0(एस0), दि0 19—12—2008 द्वारा श्रीमती शालू गोयल का आवंटन संशोधित करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित कर दिया गया है। अतः अब श्रीमती शालू गोयल का नाम अर्थ एवं संख्याधिकारी की ज्येष्ठता सूची में रखे जाने का कोई औचित्य न होने के कारण सूची से हटा दिया गया है।

6— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक—8 पर अंकित श्री हरिहर लोहुमी, उप निदेशक द्वारा अपनी ज्येष्ठता के संबधं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका का उल्लेख करते हुए उसके निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है, चूंकि जैसा कि पूर्व में ही प्रस्तर—3 में स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त रिट याचिका में उत्तराखण्ड राज्य पार्टी नहीं है और यदि मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्ववर्ती तिथि से कोई निर्णय इन अधिकारियों के संबंध में लिया जाता है तो तद्नुसार यथासमय कार्यवाही की जायेगी। अतः श्री लोहुमी की आपत्ति पर इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

7— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक—9 पर अंकित श्री रवीन्द्र कुमार, उप निदेशक द्वारा अपना नाम क्रमांक—3 पर रखे जाने का अनुरोध किया है, जिसका आधार मुख्य रूप से पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 08 मार्च, 2000 बताया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08 मार्च, 2000 द्वारा जो ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी थी वह ज्येष्ठता अनन्तिम

रूप से निर्गत की गयी थी और अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में श्री रवीन्द्र कुमार का नाम श्री पांगती के नाम के नीचे रखा गया था। चूंकि श्री रवीन्द्र कुमार द्वारा उल्लिखित उक्त ज्येष्ठता सूची अन्तिम ज्येष्ठता सूची नहीं है और कदाचित अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत होने से पूर्व ही उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो चुका था। अतः मात्र अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के आधार पर श्री कुमार के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

8— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक—12 तथा 20 पर अंकित श्री मनमोहन बलोदी, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा श्री भगवान सिंह, सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यदि समय से ज्येष्ठता सूची जारी की गयी होती तो वे सेवानिवृत्ति से पहले उप निदेशक होते। चूंकि जारी की गयी वरिष्ठता सूची संवर्ग के अधिकारियों के लिए जारी की गयी है और श्री मनमोहन बलोदी तथा श्री भगवान सिंह सेवानिवृत्त हो गये है। अतः उनके प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

9— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक—14 तथा 30 पर अंकित श्री भगवती प्रसाद तिवारी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी तथा श्रीमती इला पंत बिष्ट, अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा जन्म तिथि तथा नाम संशोधित करने का उल्लेख किया गया है, जिसे मूल अभिलेखों से सत्यापित कर संशोधित कर लिया गया है।

10— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक—15 पर अंकित श्री गजेन्द्र सिंह चौहान, अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा अपने से कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति होने के कारण नोशनल पदोन्नति प्रदान कर ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया है। प्रश्नगत पत्रावली में ज्येष्ठता निर्धारण का प्रकरण व्यवहृत किया जा रहा है और नोशनल पदोन्नति पूर्णतः दूसरा विषय है। चूंकि ज्येष्ठता निर्धारण का नोशनल पदोन्नति से कोई संबंध नहीं है अतएव नोशनल पदोन्नति का प्रकरण पृथक से व्यवहृत किया जायेगा।

11— अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कमांक—19 पर अंकित श्री राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल, अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 1997—98 की रिक्ति के सापेक्ष हुई है, जबकि उनसे वरिष्ठ कार्मिकों की पदोन्नति चयन वर्ष 1998—99 में की गई। अतः उनका नाम उन कार्मिकों से पूर्व होना चाहिए जिनका चयन 1998—99 में हुआ है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के यू0ओ0 सं0—5682/जी0/222/78, दि0 13 दिसम्बर, 1995 द्वारा सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। उक्त ज्येष्ठता सूची में श्री राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल का नाम कमांक 242 पर अंकित है, जबकि अन्य कार्मिक जिनका चयन 1998—99 में किया गया है उनसे वरिष्ठ है। उपरोक्त कोई भी कार्मिक लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति में अधिक्रमित (Supersede) नहीं हुए है। अतः पोषक संवर्ग (Feeding Cadre) की वरिष्ठता के अनुरूप ही वरिष्ठता निर्धारित की गयी है जो कि सर्वथा उचित है। अतः श्री घिल्डियाल की आपत्ति विचार योग्य नहीं है।

12— श्री प्रवीर कुमार जोशी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा अपनी आपत्ति में यह अवगत कराया गया है कि पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जारी

अर्थ एवं संख्या अधिकारी की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची यू0ओ0सं0–5682/जी–222/78, दि0 13-12-1995 में इनका नाम कम संख्या–222 पर अंकित है। अतः पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार इन्हें अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के कम संख्या–18 श्री सुभाष चन्द्र जोशी, के नीचे एवं कम संख्या–19 श्री राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल के नाम से ऊपर रखा जाए तथा दि0 29–09–2001 से इन्हें अर्थ एवं संख्या अधिकारी के पद पर नोशनल पदोन्नति भी देने का कष्ट करें। श्री जोशी को उनकी पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के अनुरूप कमांक–18 पर वरिष्ठता प्रदान कर दी गई है। जहाँ तक नोशनल पदोन्नति का प्रश्न है यह पूर्णतः दूसरा विषय है। अतः इस पर इस समय विचार करने का अवसर नहीं है।

13– श्री रंजन कुमार जोशी द्वारा अपनी आपत्ति में यह अवगत कराया है कि विभाग में अर्थ एवं संख्या अधिकारी पद पर दो रिक्तियाँ दि0 13–02–2004 को घटित होने के कारण चयन वर्ष 2003–04 के सापेक्ष इनकी सहायक अर्थ एवं संख्या अधिकारी पद से दि0 06 सितम्बर, 2007 को अर्थ एवं संख्या पद पर प्रोन्नति हुई है। इसलिए इनका नाम उक्त ज्येष्ठता सूची में क्रम संख्या–23 ललिता प्रसाद के नीचे एवं क्रम संख्या–24 कुमारी चित्रा के ऊपर अंकित होना चाहिए। श्री जोशी की वरिष्ठता कमांक–24 पर नियमानुरूप निर्धारित कर दी गई है।

14– शासन को प्राप्त उपरोक्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरांत अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत नियमित अर्थ एवं संख्या अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

क0 सं0	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/ कुमारी)	जन्म तिथि	गृह जनपद	भर्ती का स्रोत	अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि	वर्तमान धारित पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कैलाश चन्द्र काण्डपाल	08–01–1942	नैनीताल	सीधी भर्ती	28–03–1978	–	सेवानिवृत्त
2.	यतेन्द्र सिंह पांगती (अनुसूचित जनजाति)	25–05–1956	पिथौरागढ़	सीधी भर्ती	12–08–1986	अपर निदेशक	
3.	चन्द्र प्रकाश गुप्ता	25–11–1946	मेरठ	प्रोन्नति	03–11–1988	–	सेवानिवृत्त
4.	सुशील कुमार (अनुसूचित जाति)	01–09–1966	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	05–10–1991	संयुक्त निदेशक	
5.	पंकज नैथानी	20–08–1966	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	29–06–1992	संयुक्त निदेशक	
6.	डा0 मनोज कुमार पन्त	15–02–1968	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	27–06–1992	संयुक्त निदेशक	
7.	हरिहर लोहुमी	01–01–1951	अल्मोड़ा	प्रोन्नति	29–04–1999	उप निदेशक	
8.	रवीन्द्र कुमार	10–08–1952	देहरादून	प्रोन्नति	29–04–1999	उप निदेशक	
9.	वीर सिंह विष्ट	20–04–1945	टिहरी	प्रोन्नति	29–09–2001	–	सेवानिवृत्त
10.	विजय प्रकाश खुल्बे	11–09–1947	अल्मोड़ा	प्रोन्नति	02–08–2003	–	सेवानिवृत्त
11.	मनमोहन	04–01–1949	पौड़ी	प्रोन्नति	29–09–2001	अर्थ एवं संख्या	सेवानिवृत्त

						अधिकारी	
12.	राजेन्द्र प्रसाद जोशी	12–02–1949	पिथौरागढ़	प्रोन्नति	06–10–2001	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
13.	भगवती प्रसाद तिवारी	05–04–1950	टिहरी	प्रोन्नति	29–09–2001	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
14.	गजेन्द्र सिंह चौहान	20–10–1951	टिहरी	प्रोन्नति	27–07–2003	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
15.	खीम सिंह कफलिया	18–05–1950	पिथौरागढ़	प्रोन्नति	29–09–2001	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
16.	हरेन्द्र सिंह रावत	30–06–1948	पौड़ी	प्रोन्नति	29–09–2001	–	सेवानिवृत्त
17.	सुभाष चन्द्र जोशी	14–12–1948	पौड़ी	प्रोन्नति	31–07–2003	–	सेवानिवृत्त
18.	प्रवीर कुमार जोशी	02–10–1950	अल्मोड़ा	प्रोन्नति	07–09–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
19.	राजेन्द्र प्रसाद घिल्डियाल	07–11–1950	पौड़ी	प्रोन्नति	29–09–2001	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
20.	भगवान सिंह (अनुसूचित जाति)	05–01–1946	आगरा	प्रोन्नति	31–10–2000	–	सेवानिवृत्त
21.	सुन्दर लाल (अनुसूचित जाति)	10–12–1957	बागेश्वर	प्रोन्नति	29–07–2003	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
22.	शिशुपाल लाल (अनुसूचित जाति)	15–06–1951	पौड़ी	प्रोन्नति	29–07–2003	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
23.	ललिता प्रसाद (अनुसूचित जाति)	10–09–1952	अल्मोड़ा	प्रोन्नति	29–07–2003	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
24.	रंजन कुमार जोशी	17–04–1952	नैनीताल	प्रोन्नति	07–09–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
25.	विरेन्द्र पाल चन्द्र	25–04–1953	उत्तरकाशी	प्रोन्नति	07–09–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
26.	चित्रा (अनुसूचित जाति)	09–01–1976	हरिद्वार	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
27.	राजेन्द्र तिवारी	12–12–1970	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
28.	गीताजंली शर्मा	24–10–1974	देहरादून	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
29.	त्रिलोक सिंह अन्ना	10–01–1981	पिथौरागढ़	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
30.	दिनेश चन्द्र बड़ौनी	27–11–1971	टिहरी	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
31.	मनीष राणा	01–04–1979	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
32.	इला पन्त बिष्ट	30–06–1981	अल्मोड़ा	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
33.	अमित पुनेठा	02–07–1982	चम्पावत	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
34.	रश्मि हलधर (अनुसूचित जाति)	11–09–1973	देहरादून	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
35.	ललित चन्द्र आर्या (अनुसूचित जाति)	08–06–1979	नैनीताल	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	
36.	अमित वर्मा	26–04–1972	देहरादून	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या	

						अधिकारी	
	निर्मल कुमार शाह (अनुसूचित जाति)	23–11–1974	पौड़ी गढ़वाल	सीधी भर्ती	06–03–2007	अर्थ एवं संख्या अधिकारी	

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्याः // /XXVI/दो(22)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2– संबंधित अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।